रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 29 मई, 1982/8 ज्येष्ठ, 1904

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 25 मई, 1982

संख्या 6-5/81 (परिवहन).—जबकि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने, जनहित में, हिमाचल प्रदेश में यात्री पथ परिवहन को राष्ट्रीयकरण की स्कीम में संशोधन के प्रस्ताव को समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर, 1981 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, असाधारण, दिनांक 19 दिसम्बर, 1981 में प्रकाशित किया; और जबकि मोटर यान अधिनियम, 1939 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1939) की धारा 68(ई) की उप-धारा (2) के पैरा (I) तथा (II) के अधीन आपत्ति कर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों की सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हैं ;

अतः अब, मोटर यान अधिनियम, 1939 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1939) की धारा 68(ई) की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जनहित में, हिमाचल प्रदेश में यात्री पथ परिवहन की राष्ट्रीयकरण की स्कीम में सहर्ष निम्नलिखित संशोधन करते ह :—

"The Himachal Road Transport Corporation and other operators will share passenger Road Transport at the ratio of 70:30 respectively. Whe eas 35% of the bus services in the new areas are already with the private operators 25% of the bus services, excepting inter-state-routs and long multi-district bus service to and from the State Headquarters will be allowed to the H. P. Ex-servicemen Corporation, Co-operative Societies, of unemployed youth and Co-operative Societies of d ivers and othe s".

शिमला-2, 22 मई, 1982

सं0 6-20/78 (परिवहन).—जबकि मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 43 की उप-धारा (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वाहन द्वारा माल ले जाने की भाड़े की अधिकतम दरें नियत करने से सम्बन्धित प्रस्तावित निदेशों का प्रारूप राजपत्र, हिमाचल प्रदेश के दिनांक 1 सितम्बर, 1979 तथा 24 सितम्बर, 1979 के असाधारण अंक में उनसे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप या सुझाव आमन्त्रित करने हेतु समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 अगस्त, 1979 तथा 14 सितम्बर, 1979 द्वारा प्रकाशित किया गया था; और जो भी आक्षेप प्राप्त हुए उन पर आक्षेपकर्ताओं की सुनवाई के उपरान्त राज्य परिवहन के परामर्श से उक्त प्रारूप पर विचार किया गया ;

अतः अब, मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्या 22-3/69 टी0 पी0 टी0 वाल्यूम II, दिनांक 30-10-75 जो कि राजपत्र, हिमाचल प्रदेश दिनांक 1 नवम्बर, 1975 (असाधारण) के अंक में प्रकाशित हुई थी का अधिक्रमण करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण को हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वाहन द्वारा माल ले जाने की भाड़े की अधिकतम दरें नियत करने के सम्बन्ध में सहर्ष निम्नलिखित निर्देश देते हैं :—

निर्देश

राज्य परिवहन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वाहन द्वारा माल ले जाने की भाड़े की अधिकतम नियत दरें निम्नलिखित होंगी :—

	अधिकतम भाड़े की दरें प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर (गुड्ज़ टैक्स सहित)
(क) मैदानी क्षेत्रों में सभी पक्की सड़कों पर :	
(1) अविशालकाय वस्तुएं	5.75 पैसे
(2) विशालकाय वस्तुएं	7.19 पैसे
(ख) मैदानी क्षेत्रों में सभी कच्ची सड़कों पर :	
(1) अविशालकाय वस्तुएं	7.19 पैसे
(2) विशालकाय वस्तुएं	8.62 पैसे
(ग) लाहौल-स्पिति ज़िला की सड़कों के अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्र की सभी पक्की सड़कों पर :	
(1) अविशालकाय वस्तुएं	7.19 पैसे
(2) विशालकाल वस्तुएं	10.06 पैसे
(घ) लाहौल-स्पिति ज़िला की सड़कों के अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्र की सभी कच्ची सड़कों पर :	
(1) अविशालकाय वस्तुएं	9.20 पैसे
(2) विशालकाय वस्तुए	11 50 पैसे
(ङ) लाहौल-स्पिति ज़िला में सभी सड़कों पर :	
(1) अविशालकाय वस्तुएं	9.20 पैसे
(2) विशालकाय वस्तुएं	12.65 पैसे

नोट:—अविशालकाय वस्तुओं से अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से है जैसे अनाज, आलू, सब्जी, मिट्टी का तेल, पैट्रोल, तेल जो डिब्बों में हो तथा अन्य ऐसी वस्तुएँ जो अपेक्षाकृत कम जगह घेरती हो।

विशालकाय वस्तुओं से अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से है जैसे मेज-कुर्सियां, रूई इत्यादि जो अपेक्षाकृत अधिक स्थान घेरती हो।

आर0 के0 आनन्द,
सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।